

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

पत्रांक : 3106/वाद सं० आर-1470/एस-7/2025

दिनांक: 05 जनवरी, 2026

श्री मनीष गुरुंग,
सिनौला फोरेस्ट सप्लाय रोड,
देहरादून।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर लगभग 35 गुणा 25 फीट के क्षेत्रफल में आवासीय भवन का मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया। अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 27 (1), 28(1) एवं 28(2) के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस एवं कार्य रोके जाने की कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद संख्या आर-1470/एस-7/2025 योजित किया गया है। वाद में सुनवाई हेतु 03.12.2025, 10.12.2025, 17.12.2025 एवं 31.12.2025 की तिथियाँ नियत की गयी, जिसमें विपक्षी लगातार अनुपस्थित रहें। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक मीमो, दिनांक 14.12.2025 एवं पत्रांक 2995, दिनांक 22.12.2025 के द्वारा आपको अनाधिकृत निर्माण को सील करने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था। विपक्षी द्वारा आतिथि तक प्रश्नगत निर्माण का कोई स्वीकृत/शमन मानचित्र पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा वाद के समाधान में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। विपक्षी वाद को जानबूझ कर लम्बित रखना चाहता है जो कि न्याय के विरुद्ध है। प्रकरण में सील कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। अतः प्रकरण में चालानशुदा अवैध निर्माण के सीलिंग के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है।

-आदेश-

विपक्षी श्री मनीष गुरुंग, सिनौला फोरेस्ट सप्लाय रोड, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर लगभग 35 गुणा 25 फीट के क्षेत्रफल में आवासीय भवन का मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया। विपक्षी द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण कार्य को सील किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उक्त चालानशुदा अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 08/1/26 को सील किया जाना है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि को स्थल पर स्वयं उपस्थित रहकर अपना आवश्यक सामान हटा लें। अन्यथा कि स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी विपक्षी की स्वयं की होगी। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दे, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्यों में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है, जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।